रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1987/वैसाख 16, 1909
No. 233] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1987/VAISAKHA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 459 (अ).—पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 1 मई, 1987 को उस तारीख के

रूप में नियुक्त करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त होगा ।

[सं. 79/25/86-न्याय]

रणधीर सिंह, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 29th April, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 459(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 1987, as the date on which the said Act shall come into force in the Union Territory of Pondicherry.

[No. 79|25|86-Jus.]

RANDHIR SINGH, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987